न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 41/2012 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक : 08.09.2023
G.C.M.S. NO. :- 2012/000266

1–सुशीलादेवी पत्नी शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी डिण्डोली ग्राम पंचायत, डिण्डोली तहसील, राशमी

–निगराकारगण

बनाम

1–जेबुन पत्नी नूर मोहम्मद छीपा जाति मुसलमान निवासी डिण्डोली ग्राम पंचायत डिण्डोली तहसील राशमी
2–ग्राम पंचायत डिण्डोली, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत डिण्डोली, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 869 दिनांक 29.09.2009 द्वारा ग्राम पंचायत डिण्डोली, पंचायत समिति राशमी

उपस्थिति : 1–श्री बी.एल.पोखना, अधिवक्ता निगराकारगण
2–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1

:: निर्णय ::

दिनांक 13.04.2026

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है कि विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत डिण्डोली पंचायत समिति व तहसील राशमी ने विपक्षी संख्या 01 को आबादी भूमि का निःशुल्क आवंटन का विक्रय विलेख क्रमांक 869 दिनांक 29.09.2009 को किया। इस विक्रय विलेख के माध्यम से 504 वर्गफीट भूखण्ड़ विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को निःशुल्क आवंटित किया गया जो राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 एवं राजस्व पंचायत राज अधिनियम, 1994 के सर्वथा विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है, तदर्थ यह निगरानी पेश है। विपक्षी संख्या 02 ग्राम पंचायत डिण्डोली ने विपक्षी संख्या 01 को जो आलोच्य विक्रय विलेख क्रमांक 869 दिनांक 29.09.2009 को जारी किया है वह भूमि आबादी भूमि न होकर ग्राम डिण्डोली पटवार क्षेत्र डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ बिलानाम रास्ते की जन आवागमन की भूमि आराजी संख्या 1773 रकबा 4.14 हैक्टेयर भूमि का भाग है जो सार्वजनिक रूप से रास्ते के रूप में काम आ रही है और ऐसे सार्वजनिक रास्ते की भूमि को आबादी भूखण्ड़ बताकर विपक्षी संख्या 02 ने जो आलोच्य विक्रय विलेख विपक्षी संख्या 01 को जारी किया है और जो भूखण्ड़ आवंटन विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को 504 वर्गफीट भूमि का किया है वह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचयत राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत को किसी को भी भूखण्ड़ आवंटित करने का अधिकार नहीं है इस कारण विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जो विक्रय विलेख क्रमांक 869 दिनांक 29.09.2009 भूखण्ड़ का निःशुल्क आवंटन करके किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थिया की आबादी भूमि व ग्राम डिण्डोली की आराजी नंबर 1772 रकबा 0.17 है. में मकान बना हुआ है। इस प्रार्थिया की आबादी भूमि के उत्तर दिशा में लगी हुई बिलानाम सार्वजनिक रास्ते की राजकीय भूमि आराजी नंबर 1773 ग्राम डिण्डोली है जो प्रार्थिया के भी आवागमन के लिए है। ऐसी प्रार्थिया की व सार्वजनिक आवागमन की भूमि में जो आलोच्य विक्रय विलेख विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि इससे प्रार्थिया के भी आवागमन के अधिकार दुष्प्रभावित होते हैं। विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को जो आलोच्य विक्रय विलेख क्रमांक 869 दिनांक 29. 09.2009 जारी किया है वह नियमों के विपरीत जारी किया गया, जिस पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। केवल मात्र सरपंच ग्राम पंचायत डिण्डोली प्रेमदेवी ने विपक्षी संख्या 01 को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए मन मकसूद विधि विरूद्ध मौके की स्थिति को देखे बिना जो आलोच्य विक्रय विलेख जैर निगरानी जारी किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा ग्राम डिण्डोली की बिलानाम रास्ते की भूमि आराजी नंबर 1773 में अपना आलोच्य विक्रय विलेख क्रमांक869 दिनांक 29.09.2009 का बताकर पत्थर आदि डालने का प्रयास किया जा रहा है जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। अतः यह निगरानी पेश की जा रही है। माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना करती है है निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत डिण्डोली द्वारा विपक्षी सं. 01 को दिया गया आबादी भूमि का निःशुल्क आवंटन का विक्रय विलेख क्रमांक 869 दिनांक 29.09.2009 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। ग्राम पंचायत, डिण्डोली से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि विपक्षी संख्या 01 को आबादी भूमि का निःशुल्क आवंटन विक्रय विलेख क्रमांक 869 दिनांक 29.09.2009 से भूखण्ड़ आवंटित किया जाना स्वीकार है व उक्त आवंअन आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 एवं राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के तहत नियमानुसार आवंटन का पात्र होने से पारित किया गया है इसमें किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधानिकता नहीं की गई है। विवादित भूमि आबादी भूमि होने से आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का विपक्षी सं. 2 को पूर्णतया अधिकार प्राप्त होने से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि रास्ते की भूमि नहीं होकर आबादी की भूमि है जिस पर आवंटन के पूर्व से ही विपक्षी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है विपक्षिया का कब्जा होने से ही उक्त भूखण्ड़ विपक्षिया को आवंटित किया गया है व विपक्षिया सन 1992 से पूर्व से ही निर्माण चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने रास्ते का पट्टा जारी नहीं कर आबादी भूमि का पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुसार है। आ.सं. 1772 में पूर्व से ही मकान बने हुऐ हैं, आराजी नंबर 1772 आबादी की भूमि है जिस पर ग्राम वासियान के ग्राम पंचायत ने पात्रता के आधार पर पट्टे जारी किये एवं उसी अनुरूप विपक्षिया को पट्टा जारी किया जो सही है। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि उक्त विवादित विक्रय विलेख के माध्यम से 504 वर्गफीट भूखण्ड़ विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को निःशुल्क आवंटित किया गया जो राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 एवं राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंचायत राज अधिनियम, 1994 के सर्वथा विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है, तदर्थ यह निगरानी पेश है। विपक्षी संख्या 02 ग्राम पंचायत डिण्डोली ने विपक्षी संख्या 01 को जो आलोच्य विक्रय विलेख क्रमांक 869 दिनांक 29.09.2009 को जारी किया है वह भूमि आबादी भूमि न होकर ग्राम डिण्डोली पटवार क्षेत्र डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ बिलानाम रास्ते की जन आवागमन की भूमि आराजी संख्या 1773 रकबा 4.14 हैक्टेयर भूमि का भाग है जो सार्वजनिक रूप से रास्ते के रूप में काम आ रही है और ऐसे सार्वजनिक रास्ते की भूमि को आबादी भूखण्ड़ बताकर विपक्षी संख्या 02 ने जो आलोच्य विक्रय विलेख विपक्षी संख्या 01 को जारी किया है और जो भूखण्ड़ आवंटन विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को 504 वर्गफीट भूमि का किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचयत राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत को किसी को भी भूखण्ड़ आवंटित करने का अधिकार नहीं है इस कारण विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जो विक्रय विलेख क्रमांक 869 दिनांक 29.09.2009 भूखण्ड़ का निःशुल्क आवंटन करके किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ निगरानी निरस्त की जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार, राशमी दिनांक 23.05.2021 के संलग्न पर्चा मौका में अंकित किया गया है कि आराजी नंबर 1773 बिलानाम रास्ता दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी में प्रार्थिया सुशीलादेवी के कब्जे में 80ग्15 वर्गफीट कुल 12,000 वर्गफीट पर पक्की दिवार बना फाटक लगा रखी है एवं पट्टा आबादी भूमि का रियायती दर पर निःशुल्क आवंटन क्रमांक 869 दिनांक 20.09.2009 ग्राम पंचायत डिण्डोली द्वारा जेबुन पुत्री नूर मोहम्मद छीपा नि. डिण्डोली को किया गया। अंकित पट्टे अनुसार सीमांकन करने पर आ.सं. 1773 में आती है। प्रश्नगत आराजी पर पट्टा संख्या 869 दिनांक 29.09.2009 रास्ते की भूमि में जारी किया जाना पाया गया। प्रश्नगत आराजी नं. 1773 बिलानाम रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जमाबंदी की प्रति संलग्न है।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रश्नगत अपील के संदर्भ में हमने पट्टा पत्रावली, अपील, जवाब अपील एवं बहस में प्रस्तुत कथनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया :-

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन /2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 167 (1) में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ' नियम 153 में उपबंधितानुसार संदाय कर दिये जाने, नियम 154 में उपबंधितानुसार विक्रय की पुष्टि कर दिये जाने और नियम 166 के अधीन अपील, यदि कोई हो, निपटा दिये जाने, या यदि कोई भी अपील नहीं की गई हो तो उसके लिए विहित समय सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात आबादी भूमि के विक्रय का साक्ष्य देने वाला प्रारूप 23 में लिखा गया एक विलेख पंचायत की ओर से निष्पादित किया जायेगा।' उक्त नियमों के नियम 161 -(2) (ग) में निर्देश हैं कि पंचायत 'राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों की मध्य रेखा से पचहत्तर फुट' एवं 161 -(2)(घ) में निर्देश हैं कि **'अन्य जिला सडकों और गांव की सडकों की मध्य रेखा से पचास फुट'** की सीमाओं में न तो किसी आबादी भूमि का विक्रय करेगी न ही पक्का संनिर्माण अनुज्ञात किया जायेगा। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 29.09.2009 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट तहसीलदार, राशमी की रिपोर्ट दिनांक 23.05. 2021 के संलग्न मौका पर्चा दिनांक 22.05.2024 से विवादित आ.सं. 1773 रास्ता भूमि होना स्पष्ट है, जिसकी पुष्टि संलग्न जमाबंदी से भी होती है। प्रश्नगत उक्त पट्टा संख्या 869 29.09.2009 रास्ता भूमि में जारी किया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत डिण्डोली पंचायत समिति, राशमी द्वारा विवादित विक्रय विलेख संख्या 869 दिनांक 29. 09.2009 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत डिण्डोली द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत डिण्डोली द्वारा जारी विक्रय विलेख संख्या 869 दिनांक 29.09.2009 जो कि गैर-निगराकार श्रीमती जेबुन पत्नी नूर मोहम्मद छीपा जाति मुसलमान निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 13.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़